भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
07.02.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 725 का उत्तर

मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा राष्ट्रीय अभियान

725. श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या आरपीएफ का प्रत्येक लंबी दूरी के रेलवे मार्ग पर एक विशेष टीम तैनात करने का विचार है;
(ग) क्या आरपीएफ का मानव दुर्व्यापार को रोकने के मिशन में स्थानीय पुलिस की सहायता हेतु सभी राज्यों में एक कड़ी के रूप में काम करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या आरपीएफ मानव दुर्व्यापार के डिजिटल फुटप्रिन्ट की जांच करने के लिए वेब/सोशल मीडिया पर गश्त करने हेतु साइबर सेल शुरू करने की योजना बना रही है;
(च) क्या सरकार का देश के सीमावर्ती जिले से चलने वाली ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करने का विचार है; और
(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

s.k

मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा राष्ट्रीय अभियान के संबंध में दिनांक 07.02.2024 को लोक सभा में श्री गजानन कीर्तिकर के अतारांकित प्रश्न सं. 725 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (छ): 'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सरकार के विषय हैं, और इसलिए राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात राजकीय रेल पुलिस/ज़िला पुलिस के माध्यम से रेलों में अपराध की रोकथाम, पता लगाने, दर्ज और जांच-पड़ताल करने और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। रेल सुरक्षा बल रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों के लिए बेहतर रक्षा और सुरक्षा सुलभ कराने और तत्संबंधी मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों की पूर्ति करता है। रेल सुरक्षा बल को अवैध मानव व्यापार के मामलों की छानबीन करने की शक्ति प्रदत्त नहीं है और जब कभी रेल सुरक्षा बल द्वारा संदिग्ध अवैध मानव व्यापार के किसी मामले का पता लगाया जाता है तो इसकी सूचना राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस को दी जाती है। बचाए गए और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को कानून के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस को सौंप दिया जाता है।

रेल सुरक्षा द्वारा एक अखिल भारतीय अभियान 'ऑपरेशन आहट' चलाया जाता है, जिसका फोकस रेलों के जरिये अवैध मानव व्यापार के मामलों में कारगर कार्रवाई करना है।

अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई का सुदृढ़ीकरण करने के लिए, भारतीय रेल में रेल सुरक्षा बल द्वारा चौकी स्तर पर 750 से अधिक अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना की गई है। ये अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयां पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात जिला स्तर/राज्य स्तर/अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कार्यरत सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल की अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयों तथा आसूचना इकाइयों, इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों, अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करती हैं और कानून के अनुसार अवैध व्यापारियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई करती हैं।

इसके अलावा, रेल सुरक्षा बल के फील्ड फॉर्मेशन का संवेदीकरण किया गया है ताकि विशेषत: नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से सटे देश के भेद्य जिलों से रेलों के

जरिये से किसी भी प्रकार के अवैध मानव व्यापार की रोकथाम करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए अग्रसक्रिय कार्रवाई की जा सके।

2018 के बाद रेल सुरक्षा बल ने सभी रेलों में 16 जोनल साइबर सेल स्थापित किए हैं जो अवैध मानव व्यापार के मामलों पर ध्यान फोकस करते हुए भारतीय रेल में अपराधों का भी निवारण करती हैं। वर्ष 2022 में रेलवे बोर्ड में एक टोपार्क इकाई (टेक ऑपरेशन्स फॉर पोटेन्ट एक्शन अगेंस्ट रेलवे क्राइम) की भी स्थापना की गई है। यह विशेषीकृत इकाई कार्रवाई योग्य इनपुट के संबंध में, जिसे विभिन्न डिजिटल डेटा बेस से चुनने की आवश्यकता है, निगरानी, पर्यवेक्षण करने और फील्ड इकाइयों की सहायता करने के प्रति समर्पित है। इसके अलावा, अवैध मानव व्यापारियों की संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित आसूचना एकत्र करने के लिए रेल सुरक्षा बल को आईसीजेएस (इंटर-ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के माध्यम से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अवैध मानव व्यापारियों के राष्ट्रीय डेटाबेस तक एक्सेस सुलभ कराई गई है।

इसके अलावा, रेलवे द्वारा भारतीय रेल में अवैध मानव व्यापार की रोकथाम करने के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के साथ समन्वय में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. दिनांक 02.02.2022 को एक विस्तृत सुरक्षा परिपत्र संख्या 03/2022 जारी किया गया था, जिसमें अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध रेल सुरक्षा द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली कार्य योजना का विवरण दिया गया है।
2. रेलगाड़ी मार्गरक्षी दलों और जनता के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों का संवेदीकरण किया गया है और अवैध मानव व्यापार के संभावित पीड़ितों की पहचान करने एवं उन्हें बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
3. राज्य पुलिस के प्रयासों के पूर्ति करने के लिए, रेल सुरक्षा बल की साइबर सेलों को इंटरनेट में अवैध मानव व्यापार के डिजिटल पदचिह्नों/सुरागों की तलाश करने और रेलों के जरिये अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई करने में मददगार सुरागों को चुनने के लिए वेब/सोशल मीडिया की साइबर पेट्रोलिंग करने का अनुदेश दिया गया है।
4. रेल सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में "अवैध मानव व्यापार" विषय को शामिल किया गया है। साथ ही, रेल सुरक्षा बल कर्मियों

का संवेदीकरण करने और उन्हें पीड़ितों एवं अवैध मानव व्यापारियों की पहचान में प्रशिक्षित करने के लिए समय-समय पर विशेष सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।

5. **अवैध मानव व्यापार से निपटने हेतु किए गए प्रयासों की समीक्षा करने के लिए अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयों और अन्य संबंधित एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ समय-समय पर आवधिक समीक्षा बैठकें की जाती हैं।**
6. **सवारीडिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर क्लोज़्ड सर्विट टेलीविजन कैमरों द्वारा निगरानी की जाती है।**
7. **अवैध मानव व्यापार की रोकथाम करने के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस की एएचटीयू इकाइयों के साथ नियमित समन्वय बैठकें की जाती हैं।**

*****

s.k